डीजी परिपत्र संख्या - 46 /2016

जावीद अहमद,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः अगस्त 3 ,2016

विषयः- रोड होल्डअप एवं राजमार्गों पर घटित संगीन लूट/डकैती की घटनाओं के रोकथाम किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय,

आप अवगत है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हाल ही में हुई रोड होल्डअप एवं राजमार्गो पर घटित संगीन लूट/डकैती की घटनायें निःसन्देह ही गम्भीर चिन्ता का विषय है। यद्यपि इस गम्भीर समस्या की रोकथाम हेतु समय-समय पर इस मुख्यालय स्तर से परिपत्र निर्गत कर आप सभी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जाते रहे हैं, परन्तु विगत कुछ समय से इस प्रकार की घटनाओं में वृद्धि से यह आभासित होता है कि इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नही किया जा रहा है।

इस परिपत्र के माध्यम से एक बार पुनः इस प्रकार के अपराधों को नियन्त्रण में रखने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करने की अपेक्षा आप सभी से की जाती है :-

- विगत 05 वर्षों में जो अभियुक्त रोड होल्डअप/राजमार्गो पर हुई अन्य गम्भीर लूट/डकैती की घटनाओं में प्रकाश में आये हैं, उनकी एक सूची तैयार कर ली जाये तथा इन सभी अभियुक्तों की **वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में सत्यापन करा लिया जाये। जो अभियुक्त जमानत पर हैं, उनके जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही नियमानुसार करायी जाये। इनके जमानतदारानों के सम्बन्ध में भी जानकारी कर उनकी भी छानबीन कर ली जाये।** सक्रिय अपराधियों की बार-बार जमानत लेने वाले जमानतदारानों के विरूद्ध भी आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाये।
- इस प्रकार के अपराधों में प्रकाश मे आये गैंग का गैंगचार्ट अद्यावधिक कर सक्रिय अपराधियों के विरूद्ध गैगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये। इनकी हिस्ट्रीशीट खोलने की भी कार्यवाही की जाये, ताकि इनकी निगरानी की जा सके।
- प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों एवं अन्य प्रमुख मार्गों पर रात्रि में सघन पेट्रोलिंग सुनिश्चित करायी जाये।
- रात्रिकालीन चलने वाली बसों की चेकिंग एवं यथा सम्भव सचल पुलिस दस्तों की नियुक्ति की व्यवस्था लागू करने पर विचार कर लिया जाये।
- बसों/ट्रकों एवं टैकर पर रात्रि में इस तरह के अपराधियों द्वारा सवारी की तरह बैठकर सूनसान जगह पर पहुँचकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जाता है। प्रमुखतः यह अपराधी रात्रि में राजमार्गों पर पड़ने वाले होटल/ढाबों, जहाँ बस या ट्रक रूकते हैं अथवा बस अड्डों से इन वाहनों पर बैठते हैं। अतः आवश्यकता है कि रात्रि में बस अड्डों/राष्ट्रीय राजमार्ग में पड़ने वाले होटल/ढाबों, जहाँ पर यह वाहन रूकते हैं, वहाँ चढ़ने-उतरने वाले यात्रियों की चेकिंग करायी जाये एवं ढाबों की भी चेकिंग सुनिश्चित की जाये।
- काइम मैपिंग साफ्टवेयर का प्रयोग कर प्रत्येक जनपद में ऐसे स्थानों को चिन्हित कर लिया जाये, जहाँ पूर्व में इस प्रकार की अनेकों घटनायें हुई हों। इन स्थानों के आस-पास पेट्रोलिंग/पुलिस पिकेट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

- इसके अतिरिक्त संवेदनशील स्थान यथा रेलवे क्रासिंग, तीखे मोड़, जहॉ वाहनों को रूकना अथवा धीरे होना पड़ता है, वहॉ पर पुलिस पिकेट अवश्य लगायी जाये। इस पुलिस पिकेट में कम से कम 03 सशस्त्र पुलिसकर्मी अवश्य लगाये जाये।
- रेलवे स्टेशन के बाहर, बस अड्डों, मॉल, भीड़-भाड़ वाले स्थलों पर सशस्त्र वर्दीधारी पुलिसकर्मियों की डियूटी लगाकार संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी करने हेतु निर्देशित किया जाये।
- इस प्रकार के अपराधों से प्रभावित जनपदों में बसों की आकस्मिक चेकिंग भी समय एवं स्थान बदल-बदल कर करायी जाये। यथा सम्भव चेकिंग के समय हैण्डहेल्ड मेटल डिटेक्टर का प्रयोग किया जाये, ताकि कुत्सित वारदातो को अंजाम देने के उद्देश्य से अवैध शस्त्र लेकर चलने वाले अपराधी आसानी से गिरफ्त में आ जाये और आम जनता में भी इसका अच्छा संदेश जाये।
- राष्ट्रीय राजमार्गो पर प्रत्येक 05 से 10 किलोमीटर की दूरी पर उपयुक्त स्थानों का चयन करके सशस्त्र आरक्षियों की अस्थायी पिकेट डियूटी लगायी जाये। यह पिकेट डियूटी राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपने पिकेट के स्थान के आस-पास पैदल गश्त भी करेंगे तथा रात्रि में यदि कोई वारदात होती है अथवा इन्हे कोई सूचना प्राप्त होती है, तो तुरन्त थानें एवं सर्वसम्बन्धित को सूचित करते हुए अपने स्तर से तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें। पूर्व में इस प्रकार की पिकेट/गश्त की व्यवस्था प्रचलित थी, जो अब न के बराबर है। इस पिकेट/गश्त व्यवस्था को प्रभावी ढ़ग से पुनः लागू करनें पर उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त होगे।
- राजमार्गों पर पड़ने वाले टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज का प्रयोग इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त अपराधियों व उनके वाहनों की पहचान के लिए किया जा सकता है। अतः राजमार्गों पर स्थापित थानें के थानाध्यक्षों द्वारा टोल प्लाजा पर नियुक्त कर्मियों के साथ समन्वय बनाये रखा जाये। किसी प्रकार की घटना होने पर टोल प्लाजा के कर्मचारियों को भी सूचित कर उन्हे सतर्क रहने के लिए कहा जाये।

मैं चाहूँगा कि ऐसे अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आप स्वयं अपने नेतृत्व में प्रभावी कार्ययोजना बनाकर उपरोक्तानुसार कार्यवाही करायें। सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को इस सम्बन्ध में सतर्क कर दें कि वह अपने दायित्व के निर्वहन में किसी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता अथवा शिथिलता न बरते।

भवदीय

(जावीद अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
2.पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
3.अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
4.पुलिस महानिरीक्षक एस0टी0एफ0/ए0टी0एस0, उ0प्र0 लखनऊ।
5.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
6.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।